संख्या- 37/2019/548/22-4-19-22/99

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 16 जुलाई, 2019

विषय- प्रदेश की कारागारों में निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18121/नजारत-4/80-वा0क्र0/2019, दिनांक 24.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कारागार मुख्यालय की 02 नग निष्प्रयोज्य/निस्तारित एम्बेस्डर कार के स्थान पर मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की 01 नग सियाज ऑटोमैटिक एल्फा कार क्रय किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सियाज कार रू0 8.50 लाख की सीमा के भीतर क्रय करेंगे तथा मेसर्स टोयटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड की 01 नग इनोवा क्रिस्टा G (PLUS PACKAGE 7 SEATER) क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 22,07,937/- (रूपया बाइस लाख सात हजार नौ सौ सैंतिस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र0	वाहन का नाम	प्रति वाहन मूल्य	वाहन की संख्या	कुल स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5
1	मेसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की 01 नग सियाज ऑटोमैटिक एल्फा कार	रू0 8,50,000/-	01 नग	रू0 8,50,000/-
2	मेसर्स टोयटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड की 01 नग इनोवा क्रिस्टा G (PLUS PACKAGE 7 SEATER)	रू0 13,57,937/-	01 नग	रू0 13,57,937/-
		योग-	**02 नग**	**रू0 22,07,937/-**

(1) वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनों के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश दिनांक 12.11.86 एवं शासनादेश दिनांक 11.08.89 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वाहनों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुसार गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा कमी या संशोधन किया जाता है तो तदनुसार कम संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु धनराशि आहरित की जायेगी।

(4) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) प्रश्नगत वाहनों का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी समस्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त शर्तों का अनुपालन महानिरीक्षक कारागार एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तों में किसी प्रकार के विचलन के वे उत्तरदायी होंगे।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी वाहन का प्रतिस्थापन एक से अधिक बार न हो।

(8) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस कार्यक्रम/योजना/सेवा के अन्तर्गत वाहन क्रय किया गया था, वह **विद्यमान** है और उसके लिए वाहन की आवश्यकता है।

(9) वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक " 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 25-कारागार-मुख्य 14-मोटर गाडियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-965/दस/2019, दिनांक-15 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2019/548(1)/22-4-2019-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in